न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 60 / 2020

1 अमरचन्द उम्र 70 साल पुत्र मेघाराम उर्फ मेघा जाति जाट निवासी बगड़ तहसील व जिला झुन्झुनूं।

अपीलांटस

बनाम

1 मूलचन्द उम्र 65 साल पुत्र
2 सुरेन्द्र उम्र 53 साल पुत्र
3 सुमित्रा उम्र 62 साल पुत्री मेघाराम उर्फ मेघा जाति जाट निवासी बगड़ तहसील व जिला झुन्झुनूं।
4 तहसीलदार जरिये लैण्ड होल्डर झुन्झुनूं तहसील व जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

प्रथम अपील अ. धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील बखिलाफ निर्णय व डिक्री दिनांकित 15.03.2018 बअदालत उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं मुकदमा उनवानी अमरचन्द बनाम मूलचन्द वगै. मु.नं. 60 / 2017 दावा बाबत घोषणार्थ व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति :
1. श्री उम्मेद सिंह भाम्बू, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री अजय स्वामी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (अन्य झुन्झुनूं)

–निर्णय–

दिनांकः– 18/8/26

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं द्वारा मुकदमा नम्बर 60/2017 में पारित निर्णय दिनांक 15.03.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलान्ट ने एक वाद घोषणार्थ व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर गत 44 के हाल खसरा नम्बर 187 वाके ग्राम कायस्थपुरा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने तर्क दिया कि गत खसरा नम्बर 44 रकबा 9 बीघा 5 बिश्वा थे जिसके हाल खसरा नम्बर 187 रकबा 2.34 है. वाके ग्राम कायस्थपुरा भू–अभिलेख क्षेत्र बगड़ है। उक्त जमीन का खातेदार काश्तकार राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 लागु होने से पहले अपीलान्ट का पिता मेघाराम उर्फ मेघा पुत्र जेता जाति जाट साकिन देह था उक्त मेघाराम उर्फ मेघा उक्त जमीन का तत्कालीन ठिकाना में लगान जमा करवाता था तथा काबिज था व काश्त करता था। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नं. 1 लगायत 3 के पिता के देहान्त के बाद उक्त आराजी के टीनेन्सी राईटस उत्तराधिकार में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नं. 1 लगायत 3 को प्राप्त हुये तथा अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नं. 1 लगायत 3 बतौर टीनेन्ट काबित काश्त है राजस्व रिकार्ड में गलत अंकन को दुरूस्त किया जाकर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नं. 1 लगायत 3 उक्त आराजी टीनेन्ट घोषित होने के हकदार है। अपीलान्ट ग्रामीण परिवेश का तथा वृद्ध व्यक्ति है विचाराधीन निर्णय डिक्री जैर बहस का पहले अपीलान्ट को पता नहीं था दिनांक 19.10.2020 को विचाराधीन निर्णय व डिक्री के बारे में पता चलने पर अपीलान्ट ने विचाराधीन निर्णय व डिक्री जैर बहस की दिनांक 21.10.2020 को नकल प्राप्त की दिनांक 22.10.2020 से आज तक का

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

समय अपीलान्ट को अपील तैयार करवाने में लग गया बरोज जानकारी दिनांक 19.10.2020 से अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद 60 दिन पेश है फिर भी किसी कारणवश इस न्यायालय द्वारा अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद नहीं माने उस सूरत में अपीलान्ट का दफा 5 परिसीमा अधिनियम का फायदा दिया जाकर अपील अपीलान्ट मियाद मियाद समाहत की जावे। देरी माफ करने के लिये अपील के साथ दफा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि अपील स्वीकार की जाती है तो उनको कोई एतराज नहीं है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलान्ट ने एक वाद घोषणार्थ व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर गत 44 के हाल खसरा नम्बर 187 वाके ग्राम कायस्थपुरा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज कर दिया।

प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने रेवेन्यू कोर्ट मेन्यूअल के विधिक प्रावधानों की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रकिया अनुसार तनकीयात कायम किये बिना, साक्ष्य प्राप्त किये बिना विचाराधीन निर्णय से वाद का अंतिम निस्तारण कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

जाता है कि प्रकरण में वाद कथन व जवाब दावे के आधार पर तनकीयात कायम कर, साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.06.2026 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 18/5/26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर